



कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन

मध्य प्रदेश, ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.) . 462001

दूरभाष : 0755-2665385, ई-मेल : cfdamp@rediffmail.com, fdampbhopal@gmail.com

क्रमांक-11/प्राविजा/04/2025/5880

भोपाल, दिनांक - 06.10.2025

// आदेश //

भारत सरकार DCGI के दिशा-निर्देश दिनांक 18/12/2023 के तारतम्य में नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा समस्त औषधि निरीक्षकों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त दिशा-निर्देशों में FDC of Chlorpheniramine Maleate IP 2mg + Phenylephrine HCl IP 5mg drop/ml का उपयोग 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए का उल्लेख कर विक्रय अनिवार्य था।

2/ स्पष्ट निर्देशों के पश्चात भी आपके द्वारा उक्त गाईड लाईन का पालन न किये जाने से विभिन्न दवाओं का क्रय-विक्रय व भण्डारण हुआ है। विगत दिनों परासिया जिला छिन्दवाड़ा में हुई शिशुओं की दुःखद मृत्यु के संबंध में यह संज्ञान में आया है कि Coldrif सीरप का क्रय-विक्रय/भण्डारण किया गया है जो कि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं था। आपके कार्यक्षेत्र जबलपुर में stockist द्वारा भी बिना उक्त मापदण्ड के भण्डारण पाया गया।

3/ उपरोक्तानुसार आपके द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन में गंभीर लापरवाही बरती गई जिसके कारण अपूर्णनीय क्षति की जाकर विभाग की छवि को भी धूमिल कर अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में असफल व अक्षम सिद्ध हुए हैं।

4/ इस प्रकार श्री शरद कुमार जैन, औषधी निरीक्षक, जबलपुर ने गंभीर लापरवाही बरते जाने के कारण स्वयं को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन कर अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

श्री शरद कुमार जैन, औषधी निरीक्षक, जबलपुर द्वारा उक्तानुसार प्रकरण में गंभीर लापरवाही बरती जाकर अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से संपादित नहीं करने के परिणामस्वरूप श्री जैन को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल रहेगा। श्री जैन को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि-

निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशेष सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. वि.क. अधिकारी, माननीय राज्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला- जबलपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पदेन उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला - जबलपुर।
6. उप औषधि नियंत्रक, मुख्यालय भोपाल।
7. राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी, मध्यप्रदेश, मु0 भोपाल।
8. प्रभारी अधिकारी, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुख्यालय भोपाल।
9. श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, औषधि निरीक्षक एवं प्रभारी अधिकारी आई.टी. शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर उक्त आदेश को ऑनलाईन सर्वर में अपलोड करने हेतु।
10. सर्वसंबंधित औषधि निरीक्षक श्री शरद कुमार जैन की ओर पालनार्थ।
11. गोपनीय/औषधि शाखा/लेखा/स्थापना-3 मुख्यालय भोपाल।



खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश